ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने का माध्यम स्वंय सहायता समूह

डॉ0 सुनीता श्रीवास्तव
असि0 प्रोफेसर
समाजशास्त्र विभाग
ज0रा0वि0वि0चित्रकूट(उ0प्र0)

ग्रामीण महिलाओं को स्वालंबी और आत्मनिर्भर बनाने में स्वयंसहायता समूह अहम भूमिका निभा रहे है। ग्रामीण महिलाएं इन समूहों से जुड कर सशक्त हो रही है। इस वजह से सरकारी कार्यक्रमों में भी स्वयंसहायता समूह को तवज्जों दिया जा रहा है। इन समूहों से जुडकर ग्रामीण महिलाएं अपनी पहचान तो बना ही रही है, गांव के विकास में भी अहम भूमिका निभा रही है।

नारी मानव जाति की जननी और दो पीढ़ियों को जोड ने वाली एक कड़ी है। भारतीय संस्कृति में समाज के इस हिस्से को सदैव ही अधिक महत्व दिया गया है। वैदिक काल में तो महिलाओं को **'देवी'** तुल्य समझा जाता था परन्तु मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद ब्राह्मणों द्वारा हिन्दू धर्म की रक्षा एवं स्त्रियों के सतीत्व तथा रक्त की शुद्धता बनाए रखने हेतु महिलाओं के संबंध में नियमों को कठोर बना दिया गया था । महिलाओं ने भी इन आदर्शो को अपने जीवन में लागू करने में संकोच का अनुभव नही किया। महिलाओं की आर्थिक पराधीनता, पर्दाप्रथा के कारण अशिक्षा एवं संयुक्त परिवार की सुद्वढ़ता हेतु महिलाओं को दबाकर रखने की प्रवृति ने भारत में महिलाओं की स्थिति को निरन्तर बना दिया । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 द्वारा महिलाओं को भी पुरूषों के समान संपत्ति में अधिकार प्रदान किया गया। इन प्रयासों के फलस्वरूप महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों में अनेक परिवर्तन हुए। फिर भी स्थिति संतोषप्रद नही कही जा सकती है। क्योकि वर्तमान समय में भी सिद्धान्त एवं व्यवहार में भिन्नता पायी जाती है। भारतीय संविधान पुरूषों व महिलाओं के बीच अधिकारों की मान्यता देता है, परन्तु निर्विवाद रूप से स्त्रियों को भूमिका व क्रिया में भेद स्वीकार करता है। संविधान गत समानता की व्यवस्था महिलाओं की स्थिति संवैधिनिक दृष्टि से तो सुद्वढ़ हो गई किन्तु वास्तविक रूप में आज भी महिलाएँ शोषण व उत्पीड़न की शिकार बनी हुई है। महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए उनकी सामाजिक रूपरेखा को जानना अति आवश्यक है।

विकास वह दशा है जिसे लोगों के जीवन की परिवर्तन प्रक्रिया में उनके कल्याण का उच्चतर जीवन स्तर आदि उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रयुक्त किया जाता है विकास एक ऐसी बहुआयामी प्रक्रिया है जो प्रजातांत्रिक विकासशील राष्ट्र के लोगों की आशा आंकाक्षाओं से संबद्व होती है। यदि इसे मानव कल्याण के लिए उपयोग किया जाय तो विकास का अर्थ जन सामान्य के लिए सार्थक हो जाएगा अर्थात विकास का तात्पर्य सदैव समाज के

द्वारा उनकी सांस्कृतिक धरोहर व प्रतिमानों व दूसरों की रूचियों को नष्ट किए बिना ही उच्चता की ओर परिवर्तन से है।

भारत सरकार के द्वारा **न्यूनतम सरकार** और **अधिकतम शासन** तथा 'सबका साथ सबका विकास' की तर्ज पर नए भारत की अवधारणा बहुत ही महत्वाकांक्षी व चुनौती पूर्ण कार्य है। इस चुनौती पूर्ण कार्य में ग्रामीण विकास की ओर सरकार द्वारा किये गये प्रयासों के आधार पर महिलाओं के विकास पर जोर दिया जा रहा है। जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का 10 प्रतिशत दर से विस्तार हो सके तो आगामी वर्ष 2032 में भारत 10 खरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ–साथ गरीबी– रहित देश होने का गौरव प्राप्त कर सकेगा।

भारत जैसे विकासशील एवं कृषि प्रधान देश की 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या के आजीवका का प्रमुख स्त्रोत कृषि क्षेत्र है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2017–18 के अनुसार कृषि क्षेत्र जो भारत में कुल कार्यबल का 50 प्रतिशत से अधिक रोजगार प्रदान करने में सहायक है और देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 17–18 प्रतिशत योगदान देता है। भारत के सन्दर्भ में ग्रामीण विकास को एक प्रक्रिया या व्यूह रचना तक ही सीमित कर देना भारतीय जन–जीवन के ताना बाना को सतही धरातल तक ही सीमित रखना माना जा सकता है। ग्रामीण विकास तो आदिकाल से हमारे जीवन का अंग रहा ह। हमारे मनीषियों ने इसे एक दर्शन और साधन के रूप स्वीकार किया। यदि रामराज्य से लेकर मध्य युग तक को ऐतिहासिक रचनाओं रूपी निधि पर हम निगाह डालते है तो ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी की पूरी प्रशासनकीय व्यवस्था ग्रामीण स्तर से ऊपर की तरफ जाती थी। आज भी देश के लगभग तीन चौथाई आबादी गांव में बसी है। और कृषि ही अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार हो, उस देश में ग्रामीण विकास के बिना राष्ट्र के विकास की कल्पना ही भला संभव है। यही कारण है कि योजनाबद्ध विकास की प्रक्रिया के प्रथम सोपान यानि पहली पंचवर्षीय योजना से ही ग्रामीण विकास सरकार की मुख्य प्राथमिकाओं में शामिल रहा है। 1970 में बांग्लादेश से गरीब और समाज के निम्न तबके के लोगों के जीवन में आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु **स्वयं सहायता समूह** की अवधारणा को बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के रूप में जीवंत रूप प्रदान करने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता **प्रो0 मोहम्मद युनुस** का योगदान अविसमरणीय है। चार दशक के बाद आज भी **स्वयंसहायता समूह**

बहुत प्रासंगिक है। इस समूह के माध्यम से सभी सदस्य अपनी सामूहिक बचत निधि से जरूरतमंद सदसय को न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते है। जिससें वे अपने आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से आजिविका उपार्जन हेतु अपनी उधमशीलता को आकार प्रदान करता है।

विकासशील देशों के लिये यह स्वयंसहायता समूह जमीनी–स्तर पर जनसामान्य के आर्थिक सशक्तिकरण का एक प्रमुख माध्यम है।वहीं दूसरी ओर इस अवधारणा को न केवल सामान्य लोगों द्वारा अपनाया जाता है। अपितु दुनिया भर की सरकारी व गैरसरकारी संस्थाएं भी स्वयंसहायता समूह के महत्व को बखूबी समझती है। 1991–92 के दौरान स्वयंसहायता समूहों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया तथा इस प्रक्रिया में **नाबार्ड** की भूमिका प्रमुख रही। भारत की नौंवी पंचवर्षीय योजना (1997–2002) के दौरान स्वयंसहायता समूहों को जमीनी स्तर पर विकासातमक योजनाओं के कार्यान्वयन में उपयोग में लाया गया। वास्तव में स्वयंसहायता समूह (एसएचजी) ग्रामीण निर्धनों का छोटा, आर्थिक दृष्टि से एक समान और एक–दूसरे से जुडा समूह है। इस समूह की जरूरतें समूह के भीतर एक जैसी होती हैं और सब मिलकर एक ही कार्य सामूहिक रूप से करना चाहते है। यह स्वप्रेरणा से बचत के लिए बनाया गया समूह है और सभी सदस्यों न एक साधारण निधि में योगदान देना स्वीकार किया है, जिसे समूह के निर्माण के अनुसार जरूरतमंद सदस्यों को उत्पाद तथा उपयोग के प्रयोजनों के लिए ऋण के रूप में दिया जायेगा, ताकि उनकी आय में बढोतरी हो और जीवन–स्तर में बहतरी आए।

स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य

स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों की ऋण की जरूरतों की पूर्ति के लिए पूरक ऋण नीतियां बनाना है। इसके साथ ही बैकिंग गतिविधियों को बढावा देना,बचत तथा ऋण के लिए सहयोग करना, समूह के सदस्यों के भीतर आपसी विश्वास और आस्था बढाना आदि है।

सदस्यता अभियान

समूह की सदस्य संख्या 10 से 20 तक हो सकती है। परिवार का कोई एक सदस्य, पुरूष या स्त्री स्वयं सहायता समूह का सदस्य बन सकता है। समूह के सदस्यों में वरीयता के तहत

आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से एक समानता होनी चाहिए। समूह में गरीबी रेखा के नीचे के स्तर के, गरीबी –रेखा के ऊपर के स्तर के नीचे के या दोनों स्तरों से सदसय हो सकते है। समूह में सामान्यः 10 से 20 सदस्य समूह के नाम पर खाता और पासबुक होता है। 20 से अधिक सदस्य का समूह कम्पनी अधिनियम के तहत समूह का पंजीकरण आवश्यक होता है। बिना पंजीकरण के बैंक से ऋण नही दिया जा सकता है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत लघु सिंचाई के लिए छोटे को भी अनुदान स्वीकृत हो सकता है।

समूह में सदस्य की आयु

समूह के सदस्यों का उद्देश्य आगे चलकर बैंक से ऋण लेना होता है। अतः समूह का प्रत्येक सदस्य कानूनी करार करने के लिए पात्र होना चाहिए। अर्थात सदस्य की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए एवं सदस्य मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

समूह के सदस्यों को लाभ

देश में अनेक नीतिगत निर्णय होने के बावजूद यह पाया गया था कि देश की 10 करोड जनता को बैंक ऋण की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसका प्रमुख कारण था। गरीबों की छोटी–छोटी परन्तु बार–बार ऋण राशि की आवश्यकताएं। इन आवश्यकताओं को वर्तमान बैकिंग प्रणाली के तहत पूरा करना काफी खर्चीला था। गरीब व्यक्तियों के पास बैंक ऋण लेने के लिए आवश्यक जमानत के तौर पर रखने के लिए कोई चल अथवा अचल सम्पति नही होती है। इसलिए बैंक की वसूली व निगरानी करना कठिन हो जाता है। इन सभी कमियों को दूर करने के लिए स्वयं सहायता समूह की कल्पना साकार की गई है। इससे गरीबों को बिना जमानत ऋण प्राप्त होता है। तो दूसरी ओर बैंको की वसूली 100 प्रतिशत तक हो जाती है। आज केन्द्र राज्य एवं जिला प्रशासन समूहों के विकास हेतु यह कार्य स्वयं सहायता समूहों का ग्रामीण भारत के सामाजिक –आर्थिक विकास में योगदान निम्न रूपों द्वारा कर रही है।

- सामाजिक उघमिता को प्रोत्साहान देने में सहायक ।
- रोजगार , स्वरोजगार व उघमिता से गरीबी उन्मूलन में सहायक ।

• महिला स्वयंसहायता समूहों द्वारा उत्पादित विभिन्न खाद्य, पदार्थो जैसे आचार, पापड, वडी, दलिया, आटा, अगरबत्ती, मुरब्बा इत्यादि की सुगम उपलब्धता से महिलाओं व बच्चों के पोषण तथा विकास में महत्वपूर्ण योगदान।

• छत्तीसगढ के बस्तर जिले की महिलाओं में गणवेश सिलाई और कोरिया जिले की महिलाओं ने गृह उद्योगों से आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास पाया।

• स्वैच्छिक बचत और वित्तीय समवेशन को प्रोत्साहन।

• नवाचार एवं रचनात्मक उद्योगों (क्रिएटिव इंडस्ट्रीज) को प्रोत्साहन।

• क्षेत्रीय आर्थिक व सामाजिक असमानता को कम करने में सहायक।

आज भारत के विभिन्न राज्यों जैसे छत्तीसगढ, ओडिशा , मध्य प्रेदश , झारखण्ड , बिहार , आन्ध्र प्रदेश , तमिलनाडु , कर्नाटक , केरल , पश्चिम बंगाल और तेलंगाना इत्यादि में महिला स्वयंसहायता समूह विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर रहे है। तमाम ऐसे समूह है जो महिलाओं को सशक्त बना रही है। साथ ही सरकार के द्वारा इन्हें पुरस्कार भी दिये जा रहे है। इनमें फूलबासन यादव ने वर्ष 2001 में महिला स्वयंसहायता समूह की शुरूआत दो मुठ्ठी चावल और दो रूपये से की थी। वर्ष 2012 में महिला सशक्तिकरण कार्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। फूलबासन यादव देश के महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में स्वयंसहायता समूहों की भूमिका को अत्यधिक महत्वपूर्ण और प्रभावी मानती है। आज बिहार सरकार ने 2022 तक राज्य में 9200 करोड रूपये की योजनाओं के माध्यम से सवा करोड महिलाओं को 10 लाख स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सीमित करने का लक्ष्य रखा है। इसके माध्यम से 11–25 करोड महिलाओं को शामिल कर 10 लाख स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाएगा 165 हजार ग्राम संगठन 1600 संकुल स्तरीय परिसंघ और 534 प्रंखड स्तरीय परिसघं गठित होगा।

जून 2011 में आजीविका मिशन शुरू किया गया था। इसके तहत देश के छह लाख गांवो 25 लाख पंचायतों, 6000 ब्लाकों एवं 600 जिलों में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 7 करोड बीपी एल परिवारों को इसके दायरे में लाया गया। **सोनिया गांधी** ने यह भी कहा था कि

दुनियां में कोई दूसरा देश नही है जहॉ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये ऐसी महत्वाकांक्षी और बडी योजना चलाई जा रही है। इसके लिये 1000 सदस्यों के 50 स्वयंसहायता समूहों के संबधन के लिए अधिकतम 2.15 लाख का ऋण उपलब्ध कराया जाता हैं। समूहों के द्वारा लिए गए ऋण का 25 प्रतिशत व उनकी बचत का 5 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाता है।

भारत में यह समूह इतनी तेजी से बढ रही है कि पहाडी हो या समतल जगह रेगिस्तान सभी जगहों पर यह समूह तेजी से कार्य कर रही है बुन्देलखण्ड भारत का बहुत ही पिछडा राज्य माना जाता है। जिसके कारण यहॉ पर गरीबी का प्रकोप एक बिमारी की तरह है। लेकिन स्वर्णजयंती योजना के तहत आज यह कार्य सरकार के द्वारा तेजी से चलाई जा रही है। जिससे गांव में जाकर सरकार के द्वारा स्वयं सहायता समूह का गठन कर उन्हें रोजगार की जानकारी दे सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आज चित्रकूट, बरगढ, मानिकपुर जैसे घने व पिछडे गांव में महिलाओं ने मिलकर समूह का गठन कर कुल 500 समूहों को तैयार किया है। साथ ही घर बैठे मोमबत्ती, बकरी पालन, बल्ब व अपने घर के पुरूषों को ई–रिक्शा लोन पर दिलाकर उन्हें नशा से मुक्त तथा रोजगार से जोड़कर आर्थिक रूप से मजवूत कर रही है। इस तरह वे महिलाएँ जो अपने घर में प्रताड़ित की जा रही है। उन्हे समूह के माध्यम से न्याय दिलाने का भी कार्य यह समूह कर रही है **संपतपाल** के द्वारा समूह का गठन कर महिला के द्वारा किये जा रहे घरेलु हिंसा के विरूद्ध अन्दोलन कर उन्हे सशक्त कर रही है साथ ही सरकार के द्वारा महिलओं की सुरक्षा के लिये बनाये गये योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास कर रही है। जैसे, विधवा पेशन, पिता की संपत्ति में अधिकार अन्य कार्य जिससे उन्हें सशक्त बनाया जा रहा है। सरकार के द्वारा 2014 से आज तक हर दिन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये प्रयास कर कन्या भ्रूण को जड़ से समाप्त करने का आन्दोलन उन लडकियों को जो जन्म से पहले मार दी जाती थी या जन्म के बाद उन्हें घर के अंदर रखा जाता था। सरकार के द्वारा चलाये गये योजनाओं के द्वारा **बेटी बचाओं और बेटी पढाओं** तथा **सबका साथ सबका विकास** जैसा नारा लगा कर। देश ग्रामीण क्षेत्र को उज्जवला, आजीविका तमाम ऐसे कार्यो से उन्हें विकास की धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहा है।

अतः इस प्रकार स्वयं सहायता समूह देश के विभिन्न राज्यों में अनेक गतिविधियों द्वारा न केवल महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है अपितु समाज में सकारात्मक व रचनात्मक वातावरण को विकसित करने में भी सहायक है। अतः स्वयं सहायता समूह के द्वारा देश के निमार्ण में तथा विभिन्न सामाजिक विषमताओं जैसे गरीबी, बेरोजगारी , भेदभाव , भ्रष्टाचार एवं महिला व बाल उत्पीडन इत्यादि को जन–आन्दोलन एवं भागीदारी से दूर करने में सरकार व समाज को अपना बहूमूल्य योगदान दे सकती है। साथ ही महिलाओं के द्वारा परिवार , समाज व देश की प्रगति नीवं रखी जा सकती है। यह तभी हो सकता है। जब हम उन्हें सशक्त व मजबूत बनाएं। इस तथ्य को साकार करने में स्वयं सहायता समूह की भागीदारी निश्चित कर भारत को वास्तविक अर्थो में समृद्व, विकसित एवं समतामूलक राष्ट्रों की श्रेणी में ला सकते है।

सन्दर्भ ग्रन्थ–

1– समाजकार्य : तेजस्कर पाण्डेय व ओजस्कर पाण्डेय संस्करण – 2011 भारत

बुक सेन्टर लखनऊ पृष्ठ संख्या 542–543 ISBN – 978–81–76 78–172–5

2– समाजकार्य के क्षेत्र – संगीता तेज व ओजस्कर पाण्डेय संस्करण 2011 भारत

प्रकाशन लखनऊ पृष्ठ संख्या 88–90 ISBN – 978–81–8002–027–8

3– कुरूक्षेत्र – जुलाई 2019 पृष्ठ संख्या 38–42

4– कुरूक्षेत्र 2013 पृष्ठ संख्या 28–31, 40–45